भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 387
23 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

387 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) मछुआरों को लाभ प्राप्त करने में पेश आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मछुआरों की आय, स्वास्थ्य और उनके परिवारों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार सहित इन योजनाओं का उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थाई और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने हेतु सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जिनमें शामिल हैं- (i) 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 5.00 लाख रुपए , पूर्ण स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता पर 2.50 लाख रुपए और आकस्मिक दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए का समूह दुर्घटना बीमा कवरेज, (ii) 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, जिसमें मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान तीन महीने के लिए प्रति मछुआरा 3000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है और लाभार्थियों का अपना अंशदान 1500/- होता है।, (iii) सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 364.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 1,00,000 फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर लगाना, ताकि समुद्र में मछुआरों को किसी भी आपात स्थिति में टू-वे कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके।, (iv) फिशिंग वेसल्स के लिए बीमा सहायता, (v) जाल और नाव की रिप्लेसमेंट और साथ ही डीप सी फिशिंग के लिए फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और अपग्रेडेशन के लिए सहायता।

इसके अलावा, PMMSY के तहत पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम करने और आय बढ़ाने के लिए फिशिंग हारबर्स, फिश लैंडिंग सेन्टर्स, कोल्ड चेन और मारकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण, कौशल विकास और मात्स्यिकी सहकारी समितियों, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ओरगेनाईज़ेशन (FFPOs) के गठन में भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि आधुनिक तकनीकों और सामूहिक बारगेनिंग पावर के साथ हितधारकों को सशक्त बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, PMMSY के अंतर्गत तटीय मछुआरा समुदायों के लिए स्थाई रूप से आजीविका सृजन करने और मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखलाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और संसाधनों के स्थाई (सस्टेनेबल) प्रबंधन के लिए क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस और मॉडल कोस्टल फिशिंग विलेजस के विकास को कार्यान्वित करते हुए सी वीड फार्मिंग, ओर्नामेंटल फिशरीस और मेरीकल्चर के माध्यम से विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों और मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों और महासंघों के साथ संवाद के माध्यम से मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करती है, साथ ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और राज्य मत्स्यपालन विभागों, सामान्य सेवा केंद्रों और अन्य क्षेत्र स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्रदान करके पहुंच की चुनौतियों का समाधान करती है।

इसके अलावा, विभाग द्वारा कार्यान्वित नीतियां और योजनाएं/कार्यक्रम मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार को अत्यंत महत्व देती है, जो मछुआरा परिवारों को बेहतर जीवन स्तर और अच्छी शिक्षा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं।

****